

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक

/14-1(147545/2021), आगरा, दिनांक, २५ फरवरी, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :-

जनपद मथुरा में एवं तहसील गोवर्धन में ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, मथुरा द्वारा उ०प्र० पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनो ग्राम आन्धीर, जतीपुरा एवं राधाकृष्ण देहात (कुल 11006.00 मी० लम्बाई) वर्षा जल की निकासी हेतु आर०सी०सी० नाला निर्माण में प्रभावित 0.846 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 0.0875 हे० आरक्षित वनभूमि के अतिरिक्त चिन्हित वस्वरूप क्षेत्र की 0.2014 हे० वनभूमि कुल 0.9349 हे० वनभूमि बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की पत्र संख्या-08/यू०पी०/०९/२६/२०२२/एफ०सी०/४३९, दिनांक ०१.०९.२०२२ एवं आपके कार्यालय का पत्रांक FP/UP/Others/147545/2021, दिनांक ०२.०९.२०२२

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव की भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, शर्तों की अनुपालन आख्या सम्बन्धित अभिलेखों सहित प्रमाणीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा के पत्रांक 4268/14-1 दिनांक 21.01.2023 (संलग्न है) द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, के आधार पर बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है :-

1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	बिन्दु संख्या-1 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा वनभूमि का लीगल स्टेटस नहीं बदलने के सम्बन्ध में जो वचनबद्धता उपलब्ध करायी है जो संलग्नक-3 के रूप में संलग्न है।
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in area 1.5809 ha. (0.2889 ha. NFL & 1.292 ha. DFL) in madaur Gram Samaj Gata No. 2866y, village-Madaur, Range Baldev, Tehsil-Mahavan, District-Mathura (0.2889 ha. NFL), Reserve Forest of Khair Forest Bolck, Village Khairai, Range Kosi, District Mathura (1.292 ha. DFL) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	बिन्दु संख्या-2 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा अवनत वनभूमि में एवं 0.2889 हे० गैर वनभूमि क्षतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्ष के अनुक्षण हेतु मु०-11,94,500.00 की धनराशि को Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से Uttar Pradesh CAMPA IFSC UBIN0996335, A/c No. 15090199147545701 में जमा कर दिया गया जिसके चालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री प्रति जो संलग्नक-01 व 02 के रूप में संलग्न है। परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के कार्यालय की पत्र संख्या-90/गोवर्धन ड्रेनेज/02, दिनांक 18.01.2023 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी खतौनी में सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त के अनुसार वांछित भूमि का अमलदरामद कर खतौनी पर जिला प्रशासन के द्वारा अंकित कर दिया गया है जिसकी प्रति संलग्नक-2ब है।
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	बिन्दु संख्या-3 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा अवनत वनभूमि में एवं 1.292 हे० अवनत वनभूमि एवं 0.2889 हे० गैर वनभूमि क्षतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्ष के अनुक्षण हेतु मु०-11,94,500.00 की धनराशि को Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से Uttar Pradesh CAMPA IFSC UBIN0996335, A/c No. 15090199147545701 में जमा कर दिया गया जिसके चालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री प्रति जो संलग्नक-01 व 02 के रूप में संलग्न है।
4.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.9349 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India	बिन्दु संख्या-4 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा प्रभावित वन भूमि

	dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 In IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines Issued by the Ministry vide letters No. 5 1/1998-FC (Pr.II) dated 18/09/2003, as well as an letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5 3/2007-FC dated 05/02/2009, Revised amount of NPV as applicable as per order dated 06.01.2022 and 19.01.2022 shall be deposited by User Agency in this regard.	0.9349 हे० का एन०पी०वी० (As per revised NPV orders of MoEF&CC dt. 06.01.2022 & 19.01.2022) रु० 8,95,429.00 की धनराशि को Uttar Pradesh CAMPA IFSC UBIN0996335, A/c No. 15090199147545701 में जमा कर दिया गया जिसके चालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री प्रति जो संलग्नक-01 व 02 के रूप में संलग्न है ।
5.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	बिन्दु संख्या-5 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-05 है ।
6.	Certificate of no violation of FCA from concerned DFO shall be provided.	बिन्दु संख्या-6 के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मथुरा से वांछित प्रमाण-पत्र संलग्नक-06 के रूप में संलग्न है ।
7.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	बिन्दु संख्या-7 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा उपलब्ध कराया गया एफ०आर०ए० प्रमाण पत्र की प्रति संलग्नक-07 के रूप में संलग्न है ।
8.	The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be leveled.	बिन्दु संख्या-8 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-08 के रूप में संलग्न है ।
9.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	बिन्दु संख्या-9 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रसंगत प्रकरण पर Environmental Clearance की आवश्यकता नहीं है ।
10.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government. की	बिन्दु संख्या-10 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-09 के रूप में संलग्न है ।
11.	No labour camp shall be established on the forest land.	बिन्दु संख्या-11 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-10 के रूप में संलग्न है ।
12.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	बिन्दु संख्या-12 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-11 के रूप में संलग्न है ।
13.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	बिन्दु संख्या-13 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-12 के रूप में संलग्न है ।
14.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	बिन्दु संख्या-14 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-13 के रूप में संलग्न है ।
15.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	बिन्दु संख्या-15 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त संरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण के प्रकरण में लीज की आवश्यकता नहीं है ।
16.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	बिन्दु संख्या-15 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक,

		ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-14 के रूप में संलग्न है।
17	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	बिन्दु संख्या-17 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-15 के रूप में संलग्न है।
18.	No trees felling shall be done without prior approval of Hon'ble Supreme Court.	बिन्दु संख्या-18 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-16 के रूप में संलग्न है।
19	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details. before commencing of works.	बिन्दु संख्या-19 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-17 के रूप में संलग्न है।
20.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoFF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dated 29/01/2018.	बिन्दु संख्या-20 के अनुपालन में
21.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	बिन्दु संख्या-21 के अनुपालन में
22.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in).	बिन्दु संख्या-22 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा समस्त धनराशि को Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से Uttar Pradesh CAMPA IFSC UBIN0996335, A/c No. 15090199147545701 में जमा कर दिया गया जिसके चालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री प्रति जो संलग्नक-01 व 02 के रूप में संलग्न है।
23	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in).	बिन्दु संख्या-23 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा समस्त सूचानाओं को भारत सरकार के https://parivesh.nic.in पर अपलोड कर दी गयी है।

प्रस्ताव की शर्तों से सम्बन्धित अभिलेख, वचनबद्धता आदि 03 प्रतियों में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राकेश चन्द्र)

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 3679 / 14-1 समदिनांकित।

1- प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा को उनके पत्र दिनांक 21.01.2023 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, जल निगम, मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राकेश चन्द्र)

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा ।

पत्रांक 4268 /

मथुरा, दिनांक 21/01/2023.

सेवा में,

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा ।

विषय :- जनपद मथुरा में एवं तहसील गोवर्धन में ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, मथुरा द्वारा उ०प्र० पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनो ग्राम आन्यौर, जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात (कुल 11006.00 मी० लम्बाई) वर्षा जल की निकासी हेतु आर०सी०सी० नाला निर्माण में प्रभावित 0.646 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 0.0875 हे० आरक्षित वनभूमि के अतिरिक्त चिन्हित वस्वरूप क्षेत्र की 0.2014 हे० वनभूमि कुल 0.9349 हे० वनभूमि बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- 1-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की पत्र संख्या-08/यू०पी०/०९/२६/२०२२/एफ०सी०/४३९, दिनांक ०१.०९.२०२२
2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ की पृष्ठांकन संख्या-११सी ८१३-FP/UP/Others/147545/2021, दिनांक ०२.०९.२०२२
3-परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड, कृष्णानगर, मथुरा के कार्यालय का पत्रांक-1356/गोवर्धन ड्रेनेज/५८, दिनांक १०.११.२०२२ एवं पत्रांक-९०/गोवर्धन ड्रेनेज/०२ दिनांक १८.०१.२०२३

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में आपको अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के कार्यालय पत्रांक-1356/गोवर्धन ड्रेनेज/५८, दिनांक १०.११.२०२२ एवं पत्रांक-९०/गोवर्धन ड्रेनेज/०२ दिनांक १८.०१.२०२३ से निम्नलिखित बिन्दुओं पर सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चार-चार प्रतियों में इस कार्यालय में प्रेषित की गयी हैं जो आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	बिन्दु संख्या-१ के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा वनभूमि का लीगल स्टेटस नहीं बदलने के सम्बन्ध में जो वचनबद्धता उपलब्ध करायी है जो संलग्नक-३ के रूप में संलग्न है ।
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in area 1.5809 ha. (0.2889 ha. NFL & 1.292 ha. DFL) in madaur Gram Samaj Gata No. 2866y, village-Madaur, Range Baldev, Tehsil-Mahavan, District-Mathura (0.2889 ha. NFL), Reserve Forest of Khairi Forest Bolek, Village Khairi, Range Kosi, District Mathura (1.292 ha. DFL) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	बिन्दु संख्या-२ के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा अवनत वनभूमि में एवं ०.२८८९ हे० गैर वनभूमि क्षतिपूर्क वनीकरण एवं १० वर्ष के अनुरक्षण हेतु मु०-११,९४,५००.०० की धनराशि को Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से Uttar Pradesh CAMPA IFSC UBIN0996335, A/c No. 15090199147545701 में जमा कर दिया गया जिसके चालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री प्रति जो संलग्नक-०१ व ०२ के रूप में संलग्न है । परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के कार्यालय की पत्र संख्या-९०/गोवर्धन ड्रेनेज/०२, दिनांक १८.०१.२०२३ के द्वारा उपलब्ध करायी गयी खतौनी में सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त के अनुसार वांछित भूमि का अमलदरामद कर खतौनी पर जिला प्रशासन के द्वारा अंकित कर दिया गया है जिसकी प्रति संलग्नक-२व है ।
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in	बिन्दु संख्या-३ के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा अवनत वनभूमि में एवं १.

	advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	292 हे० अवनत वनभूमि एवं 0.2889 हे० गैर वनभूमि क्षतिपूर्क वनीकरण एवं 10 वर्ष के अनुरक्षण हेतु मु०-11,94,500.00 की धनराशि को Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से Uttar Pradesh CAMPA IFSC UBIN0996335, A/c No. 15090199147545701 में जमा कर दिया गया जिसके चालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री प्रति जो संलग्नक-01 व 02 के रूप में संलग्न है ।
4.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.9349 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 In IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines Issued by the Ministry vide letters No. 5 1/1998-FC (Pr.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5 3/2007-FC dated 05/02/2009, Revised amount of NPV as applicable as per order dated 06.01.2022 and 19.01.2022 shall be deposited by User Agency in this regard.	बिन्दु संख्या-4 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा प्रभावित वन भूमि 0.9349 हे० का एन०पी०वी० (As per revised NPV orders of MoEF&CC dt. 06.01.2022 & 19.01.2022) रू० 8,95,429.00 की धनराशि को Uttar Pradesh CAMPA IFSC UBIN0996335, A/c No. 15090199147545701 में जमा कर दिया गया जिसके चालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री प्रति जो संलग्नक-01 व 02 के रूप में संलग्न है ।
5.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	बिन्दु संख्या-5 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध गया है जो संलग्नक-05 है ।
6.	Certificate of no violation of FCA from concerned DFO shall be provided.	बिन्दु संख्या-6 के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मथुरा से वांछित प्रमाण-पत्र संलग्नक-06 के रूप में संलग्नक ।
7.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	बिन्दु संख्या-7 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा उपलब्ध कराया गया एफ०आर०ए० प्रमाण पत्र की प्रति संलग्नक-07 के रूप में संलग्नक ।
8.	The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be leveled.	बिन्दु संख्या-8 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-08 के रूप में संलग्न है ।
9.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	बिन्दु संख्या-9 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण पर Environmental Clearance की आवश्यकता नहीं है ।
10.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government. की	बिन्दु संख्या-10 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-09 के रूप में संलग्न है ।
11.	No labour camp shall be established on the forest land.	बिन्दु संख्या-11 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-10 के रूप में संलग्न है ।
12.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	बिन्दु संख्या-12 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-11 के रूप में संलग्न है ।

13.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	बिन्दु संख्या-13 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-12 के रूप में संलग्न है ।
14.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	बिन्दु संख्या-14 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-13 के रूप में संलग्न है ।
15.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	बिन्दु संख्या-15 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त संरक्षित वन भूमि के हस्तान्तरण के प्रकरण में लीज की आवश्यकता नहीं है ।
16.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	बिन्दु संख्या-15 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-14 के रूप में संलग्न है ।
17.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	बिन्दु संख्या-17 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-15 के रूप में संलग्न है ।
18.	No trees felling shall be done without prior approval of Hon'ble Supreme Court.	बिन्दु संख्या-18 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-16 के रूप में संलग्न है ।
19.	The KMI file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before commencing of works.	बिन्दु संख्या-19 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा जो वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है जो संलग्नक-17 के रूप में संलग्न है ।
20.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoFF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dated 29/01/2018.	बिन्दु संख्या-20 के अनुपालन में
21.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	बिन्दु संख्या-21 के अनुपालन में
22.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in).	बिन्दु संख्या-22 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा समस्त धनराशि को Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से Uttar Pradesh CAMPA IFSC UBIN0996335, A/c No. 15090199147545701 में जमा कर दिया गया जिसके चालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री प्रति जो संलग्नक-01 व 02 के रूप में संलग्न है ।
23.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in).	बिन्दु संख्या-23 के अनुपालन में याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णा नगर, मथुरा के द्वारा समस्त सूचानाओं को भारत सरकार के https://parivesh.nic.in पर अपलोड कर दी गयी है ।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा ।

पत्रांक 4268 11-1 दिनांकित ।

1-प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।

2-प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड कृष्णानगर, मथुरा को उनके कार्यालय की पत्र संख्या-90/गोवर्धन ड्रेनेज/02, दिनांक 18.01.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मथुरा ।



कार्यालय परियोजना प्रबन्धक

ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउन्ड, कृष्णानगर-मथुरा

पत्रांक :- 1356 / जीवधन ड्रेनेज / 58 दिनांक - 10/11/2022

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग,

मथुरा।

विषय:- जनपद मथुरा एवं तहसील गोवर्धन में ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम मथुरा द्वारा उ०प्र० पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनारे ग्राम आन्धौर, जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात (कुल 11006.00 मी० लम्बाई) में वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० सी० नाला निर्माण में निहित कुल 0.9349 हेक्टे० वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

(Proposal No.: FP/UP/Other/147545/2021)

सन्दर्भ : (1) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० 8B/UP/09/26/2022/FC/439 Dt. 01.09.2022

(2) आपका पत्रांक- 1126/14-1 Dated 07.09.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा विषयक प्रकरण की सैद्धान्तिक अनुमति में वर्णित शर्तों के बिन्दुवार अनुपालन हेतु निम्नलिखित धनराशि (E-Payment Portal के माध्यम से जमा कर) रसीद (आन-लाइन प्रति) एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र की मूल हस्ताक्षरित 05-05 प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर निम्नानुसार प्रेषित है-

S.NO.	CONDITIONS	REPLY/ENCLOSERS
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	शर्त संख्या-01 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-03)
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 1.5809 ha. (0.2889 ha. NFL & 1.292 ha. DFL) in Madaur Gram Samaj Gata No. 2866Y, village Madaur, Range Baldev, Tehsil Mahavan, District-Mathura (0.2889 ha. NFL), Reserve Forest of Khairal Forest Block, village Khairal, Range Kosi, District Mathura (1.292 ha. DFL) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	शर्त संख्या-02 के अनुपालन में 1.292 है० अवनत वनभूमि में एवं 0.2889 है० गैर वनभूमि में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष के रखरखाव हेतु रु० 11,97,500/- की धनराशि को Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से Uttar Pradesh CAMPA, IFSC UBIN0996335, A/C No. 15090199147545701 में जमा कर दिया गया है। जिसकी चालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री संलग्न है। (संलग्नक-01 एवं 02)
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त संख्या-03 के अनुपालन में 1.292 है० अवनत वनभूमि में एवं 0.2889 है० गैर वनभूमि में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष के रखरखाव हेतु रु० 11,97,500/- की धनराशि को Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से Uttar Pradesh CAMPA, IFSC UBIN0996335, A/C No. 15090199147545701 में जमा कर दिया गया है। जिसकी चालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री संलग्न है। (संलग्नक-01 एवं 02) The cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required will be deposited as per demanded by Forest Deptt. (Undertaking Enclosed No.- 04)
4.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.9349 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06.01.2022 and 19.01.2022 shall be deposited by User Agency in this regard.	शर्त संख्या-04 के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 0.9349 हे० का एन०पी०वी० (As per revised NPV orders of MoEF&CC dt. 06.01.2022 & 19.01.2022) रु० 8,95,429/- की धनराशि को Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से Uttar Pradesh CAMPA, IFSC UBIN0996335, A/C No. 15090199147545701 में जमा कर दिया गया है। (संलग्नक-01 एवं 02)
5.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	शर्त संख्या-05 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-05)
6.	Certificate of no violation of FCA from concerned DFO shall be provided.	शर्त संख्या-06 के अनुपालन में प्रमाण पत्र आपके स्तर से दिया जाना है। (संलग्नक-06)
7.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	शर्त संख्या-07 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम-2006 (FRA) प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-07)

रजनीकान्त मित्तल
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा

E-Mail- pmdsu.mathura@gmail.com

दूरभाष नं० कार्यालय-0565-2420200

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक

ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, वाटर वर्क्स कम्पाउन्ड, कृष्णानगर-मथुरा

8.	The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be levelled.	शर्त संख्या-08 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-08)
9.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	शर्त संख्या-09 के अनुपालन में Environmental Clearance की आवश्यकता नहीं है।
10.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	शर्त संख्या-10 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-09)
11.	No labour camp shall be established on the forest land.	शर्त संख्या-11 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-10)
12.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	शर्त संख्या-12 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-11)
13.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्त संख्या-13 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-12)
14.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	शर्त संख्या-14 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-13)
15.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	शर्त संख्या-15 के अनुपालन में प्रयुक्त की जाने वाली उक्त संरक्षित वनभूमि के हस्तान्तरण के प्रकरण में लीज की आवश्यकता नहीं है।
16.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	शर्त संख्या-16 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-14)
17.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	शर्त संख्या-17 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-15)
18.	No tree felling shall be done without prior approval of Hon'ble Supreme Court.	शर्त संख्या-18 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-16)
19.	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	शर्त संख्या-19 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-17)
20.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	शर्त संख्या-20 के अनुपालन में अनुपालन में याचक विभाग सहमत है।
21.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	शर्त संख्या-21 के अनुपालन में याचक विभाग सहमत है।
22.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	शर्त संख्या-22 के अनुपालन में समस्त धनराशि को Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से Uttar Pradesh CAMPA, IFSC UBIN0996335, A/C No. 15090199147545701 में जमा कर दिया गया है। जिसकी चालान एवं पेमेण्ट हिस्ट्री संलग्न है। (संलग्नक-01 एवं 02)
23.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त संख्या-23 के अनुपालन में compliance reports आपके द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने पर https://parivesh.nic.in के e-portal पर अपलोड कर दी जायेगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

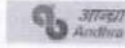
(सुजीत कुमार)

परियोजना प्रबन्धक,
ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई,
उ०प्र० जल निगम मथुरा

रजनीकान्त मिश्रा
प्रशासक निदेशक
संसाधन विकास विभाग
मथुरा

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 13-09-2022

Agency Name.	RAIL VIKAS NIGAM LIMITED, NORTH CENTRAL RAILWAY, AGRA
Application No.	59154458733
MoEF/SG File No.	8B/UP/07/64/2022/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	OFFICE OF CHIEF PROJECT MANAGER, RAIL VIKAS NIGAM LIMITED, NORTH CENTRAL RAILWAY, NEAR OLD EIDGAH RAILWAY PANEL CABIN, OLD EIDGAH RAILWAY COLONY, AGRAAgra
Amount(in Rs)	4743196/-

Amount in Words :Forty-Seven Lakh Forty-Three Thousand One Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509059154458733 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

CS

रजनीकान्त मित्तल
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वणिकी प्रभाग
मथुरा

संलग्नक-02(ग)

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application NoDate of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/Others/147545/2021 (./viewreport.aspx?pid=FP/UP/Others/147545/2021) Const. of RCC Drain along the Govardhan Parkrama Marg, in 11006.00 Mtr. length at VIII. Amnvor, Jatipura & Radhakund in Tah.-Govardhan, Distt. Mathura by D & S Unit, U.P. Jal Nigam, Mathura (U.P.)	OTHERS14754520217011	19914754570101 Sep 2022	CA: 1197500/- Addtl CA 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety 0/-, Addl PA 0/- Zone: 0/-, Other 895429/- NPV: 895429/- Charges 0/- Other Charges10/- Other Charges20/- Other Charges30/- Total: 2092929/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by : 08 Sep 2022 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 09 Sep 2022 Transaction Date : 23 Sep 2022	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/080920221513178207_FPUPOthers1475452021_User_Fund_Demanded_754V1.px) Generated Challan (./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=OTHERS14754520217011)

ch



(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)



(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)



(HTTPS://DATA.GOV.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (PrivacyPolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (AccessibilityStatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact ECCCID,
NIC, New Delhi, monitoring-tc(at)nic(dot)in

सुजीत कुमार
प्रबोधक
एव सीनरेज
उपमं नल
मधुरा
(नगरीय) मधुरा

कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा ।
संख्या 17 / सात-बी/भू0व्य0/2023

दिनांक 14-1-2023
2022

आदेश

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 एवं प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ की अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 3-6-2016 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं पुलकित खरे, जिलाधिकारी, मथुरा संलग्न सूची में उल्लिखित भूमि जो अभी तक उपरोक्त अधिनियम एवं शासनादेश के अनुसार सूची के स्तम्भ-5 में अंकित ग्राम पंचायत स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से मैं अपने अधिकार में लेता हूँ ।

क0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/ ग्राम सभा का नाम	खाता संख्या/ गाटा सं0	क्षेत्रफल (है0में)	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन) जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है ।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मथुरा	महावन	महावन	मादौर	खाता संख्या 01358 खसरा संख्या 2866य	रकवा 11.8305 है0 में से रकवा 0.2889 है0	श्रेणी-6-4- जो अन्य कारणों से अकृषित हो- बेहड़	प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ की अधिसूचना संख्या 35/740/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 3-6-2016 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में उप जिलाधिकारी महावन की संस्तुति के आधार पर गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के सहारे ग्राम आन्धौर, जलपुरा एवं राधाकुण्ड देहात में वर्षा जल की निकासी हेतु आर0सी0सी0 नाला निर्माण में निहित वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु भूमि को वन विभाग को निःशुल्क दिया जाता है। भूमि का प्रयोग अन्य प्रयोजन में नहीं किया जायेगा । यदि अन्य प्रयोजन के लिये भूमि का प्रयोग किया जाता है तो उक्त भूमि गांवसभा में निहित कर दी जायेगी।

(पुलकित खरे)
जिलाधिकारी,
मथुरा

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार ।

- 1-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ ।
- 2-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 3-आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा ।
- ✓ 4-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग, मथुरा ।
- 5-परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) वाटरवर्क्स कम्पाउन्ड, कृष्णानगर, मथुरा ।
- 6-तहसीलदार महावन को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का अमलदरामद राजस्व अभिलेख खतौनी में कराकर उद्धरण नकल खतौनी इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग, मथुरा को कब्जा हस्तान्तरित कर दखल की प्रति भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

जिलाधिकारी,
मथुरा



उद्धरण खतोनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 124208202301117

15/09/23-2(9)

ग्राम क्रमांक : 124208	ग्राम का नाम / परगना : भारदी(बलदेव)	तहसील : महावन	जपपद : मधुरा	फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028)	भाग : 1		
खता खतोनी क्रम संख्या	खतेदार का नाम / पिता पति संश्लोक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष	खते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खतेदार द्वारा देय मालगुजारी या सतान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	-----2-----	3	4	5	6	7-12	13

श्रेणी : 6-4 / जो अन्य कारणों से अंकुशित हो।

01383	वेहड़ / /						
630			630	0.1950		1420क उप जिलाधिकारी महावन के स्वयंसेव स्वीकृत दि.7.12.12 को मोबा भारदी के खा.सं. 1258 खा.सं. 2866ग रकबा 36.26580 से से क्षेत्रफल 3.457 हे0 भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित की जाती है ह.आर.के. 7.12.12	मधुरा टूटखला पाइप लाइन उपयोग हेतु खस.949मि./ 0.0558/956ग 0.3957/871/
646			646	0.3000		1420क उप जिलाधिकारी महावन के स्वयंसेव स्वीकृत दि.7.12.12 को मोबा भारदी के खा.सं. 1258 खा.सं. 2866ग रकबा 36.26580 से से क्षेत्रफल 1.605 हे0 भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित की जाती है ह.आर.के. 7.12.12	0.1106 ढ0ले0 26.7.02
695खमि			695खमि	0.3340		1421क उप जिलाधिकारी महोदय महावन के स्वीकृति अंतर्गत दिनांक 31.8.13के अन्तर्गत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के चौकीकरण के बदले क्षतिपूर्क क्लेमोपेड हेतु खाला सं.1258 खा.सं.2866 ग रकबा 31.203 हे.मे से रकबा 3.900हे.(समस्त) भूमि वनविभाग को आरक्षित की जाती है ह.आर.के.31.8.13	1417क उपजिलाधिकारी महोदय के आदेश दि. 26.11.09 के अनुपालन में ग्राम भारदी के खसरा संख्या 1673क रकबा 2.55080 भूमि वन
721ख			721ख	0.1540			
722च			722च	0.4370			
796च			796च	0.4050			
799ख			799ख	0.0600			
801ख			801ख	0.6270			
817मि.			817मि.	0.2550			
819च			819च	0.5550			
832ख			832ख	4.0620			
834			834	0.5140			
844मि.			844मि.	7.3290			
845			845	0.0810			
847			847	0.3150			
850			850	0.7610			
851			851	2.0960			
856			856	0.2270			
866			866	0.0850			
890मि.			890मि.	0.2870			

अधिशशासी अधिकारी
निर्माण खता
800 जल निगम (नगरपालिका)
मधुरा

राजनीकान्त मित्तल

प्रभारतीय निदेशक

सामाजिक वार्ताकार प्रभार

मधुरा

833	0.2020	कार्यालय जिलाधिकारी मण्डल के पत्र सं. 550/सात-बी/2015-16 नवम्बर, दिनांक 02/2015 के अनुसारन में मैं एवमशुभकार जिलाधिकारी/कलेक्टर मण्डल शासनादेश सं. 68(3)-352(6) 1979-एसएस दिनांक 01-07-1983 का आदेशिक एवमशुभकार करते हुए और उ0प्र0 जमीनारी विनयास एवं भूमि व्यवस्था	जिला रकबा 18.06180 नोडरल बेस्ड व खाता संख्या 1338 खसरा संख्या 1463/3.096, 2432/0.251, 2437च/1.181, 2449/0.388, 2476च/0.720, 2866च/3.00080 कुल 6 किलो रकबा 8.63680 नोडरल कृषि योग्य बेस्ड दोनो खातों में 9 किलो रकबा 26.69780 ग्राम समाज की जमीन वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को 10 वर्ग की अवधि के लिए इस शर्त पर आवंटित की जाती है कि 10 वर्ष बाद मय वृक्षारोपण वन विभाग भूमि को ग्राम समाज के लिए हस्तान्तरित करेगा ह0आर0के0 18.09.2018	1426क व आदेश श्रीमान उप जिलाधिकारी मण्डल मालव दि0 17.01.2019 के क्रम में मौजा मालौर के ख0म0 2424ख/8.072 व 2431च/0.574 व 2476च/9.41580 कुल 3 किलो रकबा 18.06180 रई कापनाल बेस्ड व ख0म0 1463क/3.096 व 2432/0.251 व 2437च/1.181 व 2449/0.388 व 2476च/0.720 व 2866च/3.00080 कुल
935	0.3240			
937चि.	1.3100			
949चि.	1.7310			
956क	0.5830			
962खचि	3.0210			
966ख	0.1620			
970	0.4940			
976ग	0.7400			
1297चि.	0.3080			
1347	2.3430			
1348ग	0.0770			
1350ख	0.1130			
1362ग	1.9510			
1368ख	0.1130			
1413ख	5.3410			
1668	0.5630			
1673क	8.2560			
1678	0.3440			
1686	0.9750			
1687ग	0.0280			
1697ख	0.0080			
1817चचि	1.3180			
2194चि.	0.1890			
2286ख	1.3390			
2287	0.2630			
2334ख	0.0360			
2342चि.	0.4050			
2349	0.2230			
2371	0.0280			
2372	0.1170			

अधिशायसी अभियन्ता
निर्माण खाता
8080 कल विभाग (नगरीय)
रखारा

2

215
2

रजनीकान्त मित्तल

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक दानिकी प्रभाग

2373	0.0850	1424क कार्यालय जिलाधिकारी मयुरा (जिला भूमि व्यवस्था अनुभाग)	6 किला रकमा 8.63680
2374	1.5140	संख्या 631/सत-बी/40ब/2017 दिनांक 18.03.17 आदेश दिनांक 18.03.2017 के क्रम में, भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/06/51/012/फ0बी/407/1305 दिनांक 12.02.13 में दी गई स्वीकृति की शर्त संख्या 02 के अनुसार उक्त निर्गत आदेश में आर्थिक संशोधन इस प्रकार किया जाता है, ज०सा संख्या 2866न के समुच्च कोलम में द्याये गये क्षेत्रफल 3.45780 के स्थान पर 3.457580 पड़ा जागा R.आ.के. 22-03-2017	दरई कारावात बेकर कुल सरपुई रकमा 26.69780 को वृक्षारोपण हेतु बन विभाग को प्रस्ताव पारित किया जाता है किन्तु उक्त भूमि पर स्वामित्व प्राप्त समा का ही रहेगा R0आर0के0 17.01.2019
2375	0.2100	1427क व आदेश श्रीमान नर महाजन दि.5.8.19 के क्रम में ग्राम मादौर के खाता सं. 1350 खसरा सं.227फि/0.0400, 672फि/0.0347 रास्ता, खाता सं. 1345 खसरा सं. 229फि/0.0034, 242फि/0.2403, 273फि/0.0257, 288फि/0.0445, 299फि/0.0196, 680फि/0.0006, 690फि/0.0177 चक्राना, खाता सं.1358 खसरा सं. 695फि/0.2230, 801फि/0.3346 बेहड़ ग्राम समाच भूमि खारिज करके यमुना एक्सप्रेसवे ओ.पि.ग्राउंडर मोड़वा गौतमबुद्धनगर दर्ज हो Rआर.के.5.8.19	1428क आदेश ज०किलाधिकारी महाजन दिनांक 24.09.2020 के अनुपालन में मौजा मादौर के खाता संख्या 1358 खसरा संख्या 1673न रकमा 8.25680 में से रकमा 6.04980 व गाटा संख्या 1362न रकमा 1.95180 कुल दो किला रकमा 8.00080 भूमि दर्ज कारावात बेहड़ को मयुरा वृन्दावन मार्ग (प0बि0मा0-123) का 4 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के फलस्वरूप प्रभावित व्यक्तों के बदले में प्रतिपूर्ति कीकरपण हेतु अर्जकित किया जाता है। उक्त भूमि पर स्वामित्व प्राप्त समा का ही बना रहेगा दर्ज हो R0आर0के0 24.09.2020
2376	0.1250	1428क आदेश ज० जिलाधिकारी महाजन दिनांक 28.07.2021 के अनुपालन में मौजा मादौर के खाता संख्या 1358 दर्ज कारावात बेहड़ के खसरा संख्याओं में अपूर्ण व अपूर्ण प्रविष्टियों के समुच्च राह व पूर्ण प्रविष्टियों का विवरण निम्नस्त है - खसरा संख्या 2800फि/36.265 के स्थान पर 2800फि/0.214 व खसरा संख्या 28001/2.006 के स्थान पर 2801/0.805 व खसरा संख्या 2802/0.024 के स्थान पर खसरा संख्या 2802/0.8748 व खसरा संख्या 2803/3.678 के स्थान पर खसरा संख्या 2803/0.9798 व खसरा संख्या 2804/0.024 के स्थान पर 2804/0.9638 व खसरा संख्या 2805/0.000 के स्थान पर 2805/1.0168 व खसरा संख्या 2806/0.000 के स्थान पर 2806/0.8178 व खसरा संख्या 2841/0.000 के स्थान पर 2841/1.6888 व खसरा संख्या 2866/0.000 के स्थान पर 2866/36.2658 व खसरा संख्या 871/0.000 के स्थान पर 871/2.0078 व खसरा संख्या 973न/0.000 के स्थान पर 973फि/0.0248 व खसरा संख्या 2578न/0.000 के स्थान पर 2578न/3.6798 व खसरा संख्या 973/0.000 डबल अंकित है। दर्ज हो। R0आर0के0 28.07.2021	1428क व आदेश ज० जिलाधिकारी महाजन दि.23.10.2020 के अनुपालन में मौजा मादौर के खाता सं. 1358 गाटा सं. 2866न रकमा 27.303 दर्ज हो। सं. सं. 8.000 है, भूमि का
2377ख	0.7560		
2378	0.1620		
2379	0.3200		
2380	0.4250		
2381	0.0160		
2382	0.1620		
2383	0.0610		
2384	0.3680		
2407	0.0400		
2408	0.0400		
2409	0.0360		
2410	0.0650		
2412	0.0240		
2418ख	0.0450		
2424ख	8.0720		
2431फि.	0.5740		
2476	9.4150		
2477	0.1300		
2478	0.0970		
2479	0.3680		
2480	0.0490		
2481	0.0320		
2482	0.0650		
2483	0.0200		
2484	0.0400		
2485	0.1210		
2486	0.0850		

अधिकासे अभियन्ता
निर्माण खण्ड
र०मा० ज० न०/२०२१/२०२१
कटुवा

रजनीकान्त भिल्ला

५६

प्रधानीय निदेशक

सामाजिक चानिकी प्रभाग

मथुरा

2487ख	0.2430		
2488	0.0160		
2489	0.0320		
2490	0.0570		
2504	0.0320		
2514	0.0450		
2517	0.0450		
2800मि.	36.2650		
2801	2.0060		
2802	0.0240		
2803	3.6780		
2804	0.0240		
2805			
2806			
2841			
2866म			
871			
973म			
2578म			
973			


अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड
३०५० जल निगम (नगरीय)
मथुरा

रजनीकान्त मित्तल
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक यांत्रिकी प्रभाग
मथुरा

प्रस्ताव वन विभाग को वृक्ष
लगाने यार्दी शर्ति पूरक
वृक्षारोपण प्रविधित्त वनवि रण
हेतु किया गया है उक्त भूमि
एर रसादित्व ग्रामसभा का ही
बना देगा रई हो
ह.आर.के.23, 10.2020

1429फ आदेश उप जिलाधिकारी महाजन दिनांक 29.07.2021 के अनुपालन में मौजा मन्दौर के खाला संख्या 1358 दर्ब कागजात वेहद के खसरा संख्या में आगुद व अपूर्ण प्रविष्टि के सम्मुख शुद्ध व पूर्ण प्रविष्टि का विवरण निम्नवत है - आदेश दिनांक 28.07.2021 में आधिक संशोधन - खसरा संख्या 2866/0.000 के स्थान पर 2866अ/0.000के0 के स्थान पर शुद्ध खसरा संख्या 2866अ/36.265 दर्ब हो । ह0आ0के0 29.07.2021

1429फ आदेश उपजिलाधिकारी महाजन दिनांक 25.07.2021 के अनुपालन में मौजा मन्दौर के खाला संख्या 1358 खसरा संख्या 962ख.मि रकबा 3.021हे0 में से रकबा 0.809हे0 भूमि दर्ब कागजात वेहद को मॉ असावली मन्दिर हेतु आरक्षित किया जाता है। दर्ब हो। ह0आ0के0 11.09.2021

1429फ आदेश उपजिलाधिकारी महाजन दिनांक 25.07.2021 के अनुपालन में मौजा मन्दौर के खसरा संख्या 796व रकबा 0.405हे0 दर्ब वेहद को जल निकासी हेतु जलाब के लिये आरक्षित किया जाता है। दर्ब हो। ह0आ0के0 11.09.2021

1430फ व आदेश सहस्रीतार महाजन दिनांक 17.01.2023 के अनुपालन व कार्यालय जिलाधिकारी मधुरा के पत्र संख्या 17/सत-बी/मू0व्0/2023 दिनांक 14.01.2023 के अनुसार व प्रमुख सचिव उ0फ0 शासन राखस अनुभाग-1 लखनऊ की अधिसूचना संख्या 35/740 /फ-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 03.06.2016 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में उपजिलाधिकारी महाजन की संसृष्टि के आधार पर मौजा मन्दौर के खाला संख्या 1358 खसरा संख्या 2866व रकबा 11.8305हे0 में से रकबा 0.2889हे0 भूमि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के सहारे ग्राम आन्धौर व कौपुल एवं राधाकुण्ड देहात में वर्षा बल की निकासी हेतु आ0सी0व0ी नाला निर्माण को वन विभाग को नियुक्त दिया जाता है भूमि का प्रयोग अन्य प्रयोजन में नहीं किया जायेगा यदि अन्य प्रयोजन के लिये भूमि का प्रयोग किया जाता है तो उक्त भूमि गैर सगा में निहित कर दी जायेगी ह0आ0के0 17.01.2023 प्राप्त 18.01.2023

८/५

५

राजनीकान्त मिलाल

प्रभागमोस निदेशक

आप्राजिक वानिकी प्रभाग

मधुरा

राजनीकान्त अधिवक्ता
निर्वाण उपाय
८०५० बल पिन (००००००००)
मधुरा

कुल गाटे- एक शून्य दो		कुल क्षेत्रफल- एक एक सात दशमलव नौ सात तीन शून्य (छेदेय)	कुल मू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये						
				102	117.9730				


अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड
उपन बाल निगम (नगरीय)
भुवरा



सहज अधिकारी: SHAILENDRA KUMAR
तहसील: महारन जयपुर भुवरा
दिनांक एवं समय: 19-01-2023 08:03:48
यह दस्तावेज खरीदी केलेक्ट्रॉनिक दिनांक द्वारा किया की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।


रजनीकान्त मित्तल
प्रभागिय निदेशक
सामाजिक वित्तिकी प्रभाग
भुवरा



कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई, उ०प्र० जल निगम,
वाटर वर्क्स कम्पाउन्ड, कृष्णानगर-मथुरा

संलग्नक-03

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनपद मथुरा एवं तहसील गोवर्धन में ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई, उ०प्र० जल निगम मथुरा द्वारा उ०प्र० पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनारे ग्राम आन्धौर, जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात (कुल 11006.00 मी० लम्बाई) में वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० सी० नाला निर्माण में निहित कुल 0.9349 हेक्टे० वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (Proposal No.: FP/UP/Others/147545/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० 8B/UP/09/26/2022/FC/439 Dt. 01.09.2022 के अनुपालन में -

बिन्दु शर्त संख्या-01 के अनुसार "Legal status of the forest land shall remain unchanged." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

(सुजीत कुमार)

परियोजना प्रबन्धक,
ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई,
उ०प्र० जल निगम मथुरा

रजनीशान्त मित्तल
प्रभागीय निदेशक
सांवाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा



कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम,
वाटर वर्क्स कम्पाउन्ड, कृष्णानगर-मथुरा

संलग्नक-04

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनपद मथुरा एवं तहसील गोवर्धन में ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई, उ०प्र० जल निगम मथुरा द्वारा उ०प्र० पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनारे ग्राम आन्धौर, जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात (कुल 11006.00 मी० लम्बाई) में वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० सी० नाला निर्माण में निहित कुल 0.9349 हेक्टे० वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (Proposal No.: FP/UP/Others/147545/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० 8B/UP/09/26/2022/FC/439 Dt. 01.09.2022 के अनुपालन में -

बिन्दु शर्त संख्या-03 के अनुसार "The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।


(सुजीत कुमार)
परियोजना प्रबन्धक,
ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई,
उ०प्र० जल निगम मथुरा

CL


रजनीकांत मिश्रा
प्रमाणित अधिकारी
सांख्यिक व वानिकी प्रमाण
1 मथुरा



कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम,
वाटर वर्क्स कम्पाउन्ड, कृष्णानगर-मथुरा

संलग्नक-05

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनपद मथुरा एवं तहसील गोवर्धन में ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई, उ०प्र० जल निगम मथुरा द्वारा उ०प्र० पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनारे ग्राम आन्धौर, जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात (कुल 11006.00 मी० लम्बाई) में वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० नाला निर्माण में निहित कुल 0.9349 हेक्टे० वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (Proposal No.: FP/UP/Others/147545/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० 8B/UP/09/26/2022/FC/439 Dt. 01.09.2022 के अनुपालन में -

बिन्दु शर्त संख्या-05 के अनुसार "Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।


(सुजीत कुमार)
परियोजना प्रबन्धक,
ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई,
उ०प्र० जल निगम मथुरा

८५

रजनीकान्त मिश्रा
प्रशासक निदेशक
सांख्यिक वानिकी प्रभाग
मथुरा

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश, क्षेत्रीय वन अधिकारी, गोवर्धन के द्वारा आज दिनांक 19.01.2023 को जनपद मथुरा में तहसील गोवर्धन में ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम मथुरा द्वारा उ०प्र० पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रम मार्ग मार्ग के किनारे आन्यौर, जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात में वर्षा जल निकासी हेतु आर०सी०सी० नाला निर्माण स्थल के सम्बन्ध में निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के पश्चात् यह पाया गया कि याचक विभाग परियोजना प्रबन्धक, ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम, मथुरा के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का किसी भी प्रकार का उल्लंघन प्रश्नगत प्रस्ताव में नहीं किया गया है ।

(अवधेश)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोवर्धन
गोवर्धन रेंज

प्रतिहस्ताक्षरित

रजनीकांत मित्तल
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक, वानिकी प्रभाग
मथुरा

प्रमाण पत्र (शर्त संख्या-06)

विषय: जनपद मथुरा एवं तहसील गोवर्धन में ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई, उ0प्र0 जल निगम मथुरा द्वारा उ0प्र0 पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनारे ग्राम आन्वौर, जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात (कुल 11006.00 मी0 लम्बाई) में वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० सी० नाला निर्माण में निहित कुल 0.9349 हेक्टे0 वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (Proposal No.: FP/UP/Others/147545/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० 8B/UP/09/26/2022/FC/439 Dt. 01.09.2022 के अनुपालन में -

बिन्दु शर्त संख्या-06 के अनुसार "Certificate of no violation of FCA from concerned DFO shall be provided." के अनुपालन में-

"प्रमाणित किया जाता है कि ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई, उ0प्र0 जल निगम मथुरा द्वारा उक्त विषयक परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित आर० सी० सी० नाला निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। प्रस्तावक विभाग द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।"

8

4/3
रजनीकान्त मित्तल
प्रभागीय निदेशक
मानविकी वानिकी प्रभाग
मथुरा

संलग्न - 7

9

FORM-I

(for plantation on non-forest land and notified as "protected forest" on or after 13 December 1930 and located in village having no recorded scheduled Tribe Population as per 2001 and 2011 census)

[Rule 6(3) of forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Uttar Pradesh

Office of District Collector Mathura

No. 3870/144

Dated 12/02/2024

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance Of the Rule 6(3)(e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014, Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014, and Forest (Conservation) Amendment 2016] it is certified that 0.9349 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of U.P. Jal Nigam, D & S Unit, Mathura (U.P.) for "Constt. of RCC Drain along the Govardhan Parikrama Marg, in 11006.00 Mtr. length at Vill. Annyor, Jatipura & Radhakund in Tah.-Govardhan, Distt. Mathura' in the State of Uttar Pradesh having no recorded population of scheduled Tribes as per census of India 2001 and 2011. It is further certified that:

- The Protected Forest, Reserve Forest & Resumed Forest (s) namely (linear plantation along the road and the canal) involved in the above villages are plantation raised on non-forest land on or after 13 December 1930 and notified as Protected Forest, Reserve Forest & Resumed Forest vide notification no (s)-1155/XIV-331-50 dated:- February 10, 1960
- Therefore, these Protected Forest, Reserve Forest & Resumed Forest neither have residing Scheduled Tribes nor have Other Traditional Forest Dwellers (residing in the Protected Forest, Reserve Forest & Resumed Forest for more than 75 years) having right recognized under Forest Rights Act, 2006.

Social Welfare Officer
जिला समाज कल्याण अधिकारी
Mathura.

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
Mathura
Social Forestry Division,
Mathura

District Magistrate,
Mathura.

D.M./Collector
MATHURA.



कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम,
वाटर वर्क्स कम्पाउन्ड, कृष्णानगर-मथुरा

संलग्नक-08

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनपद मथुरा एवं तहसील गोवर्धन में ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई, उ०प्र० जल निगम मथुरा द्वारा उ०प्र० पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनारे ग्राम आन्धौर, जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात (कुल 11006.00 मी० लम्बाई) में वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० सी० नाला निर्माण में निहित कुल 0.9349 हेक्टे० वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (Proposal No.: FP/UP/Others/147545/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० 8B/UP/09/26/2022/FC/439 Dt. 01.09.2022 के अनुपालन में -

बिन्दु शर्त संख्या-08 के अनुसार "The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be levelled." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।


(सुजीत कुमार)
परियोजना प्रबन्धक,
ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई,
उ०प्र० जल निगम मथुरा


रजनीकान्त मिश्र
प्रभागीय निदेशक
सांघाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा



कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम,
वाटर वर्क्स कम्पाउन्ड, कृष्णानगर-मथुरा

संलग्नक-09

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनपद मथुरा एवं तहसील गोवर्धन में ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई, उ०प्र० जल निगम मथुरा द्वारा उ०प्र० पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनारे ग्राम आन्धौर, जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात (कुल 11006.00 मी० लम्बाई) में वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० सी० नाला निर्माण में निहित कुल 0.9349 हेक्टे० वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (Proposal No.: FP/UP/Others/147545/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० 8B/UP/09/26/2022/FC/439 Dt. 01.09.2022 के अनुपालन में -

बिन्दु शर्त संख्या-10 के अनुसार "The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।


(सुजीत कुमार)
परियोजना प्रबन्धक,
ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई,
उ०प्र० जल निगम मथुरा



रजनीकान्त मिश्रा
प्रभागध्यक्ष निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा



कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम,
वाटर वर्क्स कम्पाउन्ड, कृष्णानगर-मथुरा

संलग्नक-10

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनप्रद मथुरा एवं तहसील गोवर्धन में ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम मथुरा द्वारा उ०प्र० पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनारे ग्राम आन्धौर, जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात (कुल 11006.00 मी० लम्बाई) में वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० सी० नाला निर्माण में निहित कुल 0.9349 हेक्टे० वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (Proposal No.: FP/UP/Others/147545/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० 8B/UP/09/26/2022/FC/439 Dt. 01.09.2022 के अनुपालन में -

बिन्दु शर्त संख्या-11 के अनुसार "No labour camp shall be established on the forest land." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

(सुजीत कुमार)
परियोजना प्रबन्धक,
ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई,
उ०प्र० जल निगम मथुरा

रजनीकान्त मित्तल
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा



कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम,
वाटर वर्क्स कम्पाउन्ड, कृष्णानगर-मथुरा

संलग्नक-11

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनपद मथुरा एवं तहसील गोवर्धन में ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई, उ०प्र० जल निगम मथुरा द्वारा उ०प्र० पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनारे ग्राम आन्धौर, जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात (कुल 11006.00 मी० लम्बाई) में वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० सी० नाला निर्माण में निहित कुल 0.9349 हेक्टे० वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (Proposal No.: FP/UP/Others/147545/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० 8B/UP/09/26/2022/FC/439 Dt. 01.09.2022 के अनुपालन में -

बिन्दु शर्त संख्या-12 के अनुसार "Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।


(सुजीत कुमार)
परियोजना प्रबन्धक,
ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई,
उ०प्र० जल निगम मथुरा



रजनीकान्त पित्तल
प्रभाषित निदेशक
सापेक्षिक वानिकी प्रभाग
मथुरा




कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम,
वाटर वर्क्स कम्पाउन्ड, कृष्णानगर-मथुरा

संलग्नक-12

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनपद मथुरा एवं तहसील गोवर्धन में ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई, उ०प्र० जल निगम मथुरा द्वारा उ०प्र० पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनारे ग्राम आन्धौर, जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात (कुल 11006.00 मी० लम्बाई) में वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० सी० नाला निर्माण में निहित कुल 0.9349 हेक्टे० वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (Proposal No.: FP/UP/Others/147545/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० 8B/UP/09/26/2022/FC/439 Dt. 01.09.2022 के अनुपालन में -

बिन्दु शर्त संख्या-13 के अनुसार "The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।


(सुजीत कुमार)
परियोजना प्रबन्धक,
ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई,
उ०प्र० जल निगम मथुरा

५५

राजनीयान्त मितल
प्रकल्प निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा



कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम,
वाटर वर्क्स कम्पाउन्ड, कृष्णानगर-मथुरा

संलग्नक-13

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनपद मथुरा एवं तहसील गोवर्धन में ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई, उ०प्र० जल निगम मथुरा द्वारा उ०प्र० पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनारे ग्राम आन्धोर, जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात (कुल 11006.00 मी० लम्बाई) में वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० सी० नाला निर्माण में निहित कुल 0.9349 हेक्टे० वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (Proposal No.: FP/UP/Others/147545/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० 8B/UP/09/26/2022/FC/439 Dt. 01.09.2022 के अनुपालन में -

बिन्दु शर्त संख्या-14 के अनुसार "No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।


(सुजीत कुमार)
परियोजना प्रबन्धक,
ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई,
उ०प्र० जल निगम मथुरा

८५

रजनीकान्त मिश्रा
प्रधानीय निदेशक
वातावरण व वानिकी प्रभाग
मथुरा




कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम,
वाटर वर्क्स कम्पाउन्ड, कृष्णानगर-मथुरा

संलग्नक-14

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनपद मथुरा एवं तहसील गोवर्धन में ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई, उ०प्र० जल निगम मथुरा द्वारा उ०प्र० पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनारे ग्राम आन्वौर, जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात (कुल 11006.00 मी० लम्बाई) में वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० सी० नाला निर्माण में निहित कुल 0.9349 हेक्टे० वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (Proposal No.: FP/UP/Others/147545/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० 8B/UP/09/26/2022/FC/439 Dt. 01.09.2022 के अनुपालन में -

बिन्दु शर्त संख्या-16 के अनुसार "The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

(सुजीत कुमार)
परियोजना प्रबन्धक,
ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई,
उ०प्र० जल निगम मथुरा

रजनीकान्त मित्तल
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा



कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम,
वाटर वर्क्स कम्पाउन्ड, कृष्णानगर-मथुरा

संलग्नक-15

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनपद मथुरा एवं तहसील गोवर्धन में ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई, उ०प्र० जल निगम मथुरा द्वारा उ०प्र० पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनारे ग्राम आन्धौर, जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात (कुल 11006.00 मी० लम्बाई) में वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० नाला निर्माण में निहित कुल 0.9349 हेक्टे० वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (Proposal No.: FP/UP/Others/147545/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० 8B/UP/09/26/2022/FC/439 Dt. 01.09.2022 के अनुपालन में -

बिन्दु शर्त संख्या-17 के अनुसार "The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।


(सुजीत कुमार)
परियोजना प्रबन्धक,
ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई,
उ०प्र० जल निगम मथुरा

६/५

रजनीकान्त मित्तल
प्रशासनिक निदेशक
मानविकी प्रभाग
मथुरा



कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई, उ०प्र० जल निगम,
वाटर वर्क्स कम्पाउन्ड, कृष्णानगर-मथुरा

संलग्नक-16

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनपद मथुरा एवं तहसील गोवर्धन में ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई, उ०प्र० जल निगम मथुरा द्वारा उ०प्र० पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनारे ग्राम आन्धौर, जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात (कुल 11006.00 मी० लम्बाई) में वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० सी० नाला निर्माण में निहित कुल 0.9349 हेक्टे० वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (Proposal No.: FP/UP/Others/147545/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० 8B/UP/09/26/2022/FC/439 Dt. 01.09.2022 के अनुपालन में -

बिन्दु शर्त संख्या-18 के अनुसार "No tree felling shall be done without prior approval of Hon'ble Supreme Court." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।


(सुजीत कुमार)
परियोजना प्रबन्धक,
ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई,
उ०प्र० जल निगम मथुरा

८५


रजनीकान्त मिश्रा
प्रभागीय निगराक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा



कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई, उ०प्र० जल निगम,
वाटर वर्क्स कम्पाउन्ड, कृष्णानगर-मथुरा

संलग्नक-17

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय: जनपद मथुरा एवं तहसील गोवर्धन में ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई, उ०प्र० जल निगम मथुरा द्वारा उ०प्र० पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनारे ग्राम आन्धौर, जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात (कुल 11006.00 मी० लम्बाई) में वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० सी० नाला निर्माण में निहित कुल 0.9349 हेक्टे० वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। (Proposal No.: FP/UP/Others/147545/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अलीगंज लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० 8B/UP/09/26/2022/FC/439 Dt. 01.09.2022 के अनुपालन में -

बिन्दु शर्त संख्या-19 के अनुसार " The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works." के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।


(सुजीत कुमार)
परियोजना प्रबन्धक,
ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई,
उ०प्र० जल निगम मथुरा
८/९


रजनीकान्त मिश्रा
प्रमाणित निदेशक
सांसाधन विकास विभाग
मथुरा
१